# उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

**रा0 वि0 वाद संख्या–08/2023–24**

**दयामय दत्ता वगै0**

**बनाम्**

**लोरेंस हँसदा एवं अन्य**

**–: आदेश :–**

दिनांक 10/2/25

विज्ञ सरकारी वकील को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वर्तमान वाद की प्रक्रिया अपर समाहर्त्ता, गोड्डा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ किया गया है।

अपर समाहर्त्ता, गोड्डा ने अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय का वासगत पर्चा रद्द से संबंधित विविध केश संख्या –06/23–24(दयामय दत्ता वगै0 बनाम् लोरेंस हँसदा वगै0) का अभिलेख विचारण हेतु अग्रसारित किया है।

वाद का सारांश इस प्रकार है कि मौजा–मानिकपुर घाट नं0–754, जमाबंदी नं0–08, दाग नं0–164, कुल खतियानी रकवा 05–09–09 धूर जमीन में से 1. वासगीत पर्चा केस संख्या–29/94–95 के आदेश दिनांक–25.11.94 के द्वारा लोरेंस हँसदा पे0–स्व0 जैकब हँसदा अंश रकवा 00–04–00 धूर जमीन, 2.वासगीत पर्चा केस संख्या–30/94–95 के आदेश दिनांक–25.11.94 के द्वारा बादल हँसदा पे0–लोरेंस हँसदा अंश रकवा 00–04–00 धूर जमीन, 3. वासगीत पर्चा केस संख्या–31/94–95 के आदेश दिनांक–25.11.94 के द्वारा विजय कुमार भगत पे0–राम जी भगत अंश रकवा 00–04–00 धूर जमीन एवं 4. वासगीत पर्चा केस संख्या–32/94–95 के आदेश दिनांक–25.11.94 के द्वारा तारकेश्वर भगत पे0–राम जी प्रसाद भगत अंश रकवा 00–04–00 धूर जमीन का वासगीत पर्चा निर्गत किया गया है तथा पंजी–II में नाम से दर्ज है। लेकिन वासगीत पर्चाधारियों का उक्त जमीन पर दखल कब्जा न होकर मूल खतियानी रैयत के दखल कब्जा होने के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा वासगीत पर्चा को रद्द करने हेतु अग्रसारित किया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी,महागामा के द्वारा उल्लेख किया गया है कि आवेदक दयामय कुमार दत्ता, पे0–आसिफ दत्ता, एवं मानस कुमार दत्ता, पे0–रविन्द्र दत्ता सा0–डुमरिया थाना एवं अंचल–महागामा जिला–गोड्डा के द्वारा मौजा–मानिकपुर घाट नं0–754, जमाबंदी नं0–08, दाग नं0–164, कुल खतियानी रकवा 05–09–09 धूर जमीन के अंदर कुल

00–16–00 धूर जमीन का निर्गत वासगित पर्चा को रद्द करते हुए विपक्षीगण से लेकर जमाबंदी रैयत को वापस करने अनुरोध किया गया है। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी,महागामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी,महागामा ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा–मानिकपुर घाट, जमाबंदी नं0–08, दाग नं0–164, कुल रकवा 05–09–09 धूर जमीन गत सर्वे खतियान में बंकु दत्ता वल्द अखिल दत्ता कौम–तमौली सा0–डुमरिया के नाम से दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत बंकु दत्ता का परपोता है। वर्तमान में जमीन के अंश भाग लगभग 06 कट्ठा पर जर्जर अवस्था में पेट्रोल पंप एवं सहन है। शेष भाग पर खतियानी रैयत के वंशज द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है एवं सभी जमीन पर खतियानी रैयत के वंशज का दखल है। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अनुमण्डल पदाधिकारी,महागामा के द्वारा उभय पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि यद्यपि की वासगीत पर्चा उनलोगों के नाम से निर्गत है एवं उसी के अनुसार पंजी–II में भी नाम से दर्ज है, लेकिन वर्तमान में उक्त जमीन पर दखल कब्जा जमाबंदी रैयत के वंशज का है। शपथ पत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि पंजी–II से उनलोगों का नाम हटाकर जमाबंदी रैयत के वंशज मानस दत्ता के परिवार के लोगों का नाम दर्ज करने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–मानिकपुर घाट नं0–754, जमाबंदी नं0–08, दाग नं0–164, कुल रकवा 05–09–09 धूर जमीन गत सर्वे खतियान में बंकु दत्ता वल्द अखिल दत्ता कौम–तमौली सा0–डुमरिया के नाम से दर्ज है। जिसमें से कुल 00–16–00 धूर जमीन में से क्रमशः 1.वासगीत पर्चा केस संख्या–29/94–95 के आदेश दिनांक–25.11.94 के द्वारा लोरेंस हाँसदा पे0–स्व0 जैकब हाँसदा अंश रकवा 00–04–00 धूर जमीन, 2.वासगीत पर्चा केस संख्या–30/94–95 के आदेश दिनांक–25.11.94 के द्वारा बादल हाँसदा पे0–लोरेंस हाँसदा अंश रकवा–00–04–00 धूर जमीन, 3. वासगीत पर्चा केस संख्या–31/94–95 के आदेश दिनांक–25.11.94 के द्वारा विजय कुमार भगत पे0–राम जी भगत अंश रकवा–00–04–00 धूर जमीन एवं 4. वासगीत पर्चा केस संख्या–32/94–95 के आदेश दिनांक–25.11.94 के

द्वारा तारकेश्वर भगत पे0–राम जी प्रसाद भगत अंश रकवा 00–04–00 धूर जमीन का वासगीत पर्चा निर्गत किया गया है तथा पंजी–II में भी नाम दर्ज है। लेकिन यह स्पष्ट है कि उक्त जमीन पर वर्तमान में वासगीत पर्चाधारी का दखल कब्जा न होकर मूल खतियानी रैयत के वंशज का दखल कब्जा है एवं विपक्षी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से भी पंजी–II से नाम हटाकर जमाबंदी रैयत के वंशज मानस दत्ता के परिवार के लोगों का नाम दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। ऐसी स्थिति में निर्गत वासगीत पर्चा का कोई मान्य एवं औचित्य नहीं रह गया है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में 1. वासगीत पर्चा केस संख्या–29 / 94–95, 2.वासगीत पर्चा केस संख्या–30 / 94–95, 3. वासगीत पर्चा केस संख्या–31 / 94–95 एवं 4. वासगीत पर्चा केस संख्या–32 / 94–95 के द्वारा निर्गत वासगीत पर्चा को रद्द किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, महागामा को आदेश दिया जाता है कि पंजी–II में तदनुसार सुधार करेंगे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को निर्गत करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा। 10/02/21

उपायुक्त,
गोड्डा। 10/02/21

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.09.11 11:37:37 +05:30
Location: 192.168.1.2